



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052021-226825
CG-DL-E-03052021-226825

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]
No. 250]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 3, 2021/वैशाख 13, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MAY 3, 2021/VAISAKHA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

तदर्थ छूट आदेश

नई दिल्ली, 3 मई, 2021

सं. 4/2021-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 316(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 महामारी के कारण व्याप्त आपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत, आश्वस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो उक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट हैं, पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, जब वह भारत में आयातित हो, इस छूट आदेश के उपबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, छूट प्रदान करती है।

2. यह छूट आदेश 30 जून, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगा और ऐसे माल पर भी लागू होगा जिसकी निकासी इस आदेश के जारी होने की तारीख पर लंबित है।

परिशिष्ट

क्र. सं.	अधिसूचना
1.	अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमाशुल्क दिनांक 20 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2021]
2.	अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमाशुल्क दिनांक 24 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2021]

उपबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	उक्त माल कोविड से राहत के उद्देश्य से किसी राज्य सरकार, या किसी राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत इकाई, राहत संस्था अथवा सांविदिक निकाय द्वारा, बिना मूल्य के आयातित है।
2.	उक्त माल विदेश से कोविड से राहत के लिए निशुल्क वितरण हेतु प्राप्त हुआ है।
3.	आयातकर्ता माल की निकासी के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल प्राधिकारी से जारी किया हुआ एक प्रमाणपत्र सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है, कि आयातित माल कोविड से राहत के लिए राज्य सरकार या इकाई, राहत संस्था अथवा सांविदिक निकाय, जैसा की उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हो, द्वारा निशुल्क वितरण हेतु है।
4.	आयातकर्ता आयत के पत्तन पर, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष, आयात की तारीख के छह माह, अथवा अधिकतम नौ माह तक की विस्तारित अवधि जिसे उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, के भीतर निशुल्क वितरित माल का विवरण, जो कि राज्य सरकार के उक्त नोडल प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/2/2021-टीओ(टीआरयू-1)-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

AD HOC EXEMPTION ORDER

New Delhi, the 3rd May, 2021

No. 4/2021-Customs

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, under exceptional circumstances prevailing due to the COVID-19 pandemic, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description as specified in the notifications listed in the Appendix below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as specified in the said notifications, when imported into India, from the whole of the integrated tax leviable thereon under sub-section (7) of section 3 of the said Customs Tariff Act, read with section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), subject to the conditions specified in the Annexure to this exemption order.

2. This exemption order shall remain in force upto and inclusive of the 30th day of June, 2021 and shall also apply to goods which are pending for clearance on the date of issue of this order.

Appendix

S.No.	Notification
1.	Notification No. 27/2021-Customs, dated the 20 th April, 2021 [G.S.R. 284(E), dated the 20 th April, 2021]
2.	Notification No. 28/2021-Customs, dated the 24 th April, 2021 [G.S.R. 286(E), dated the 24 th April, 2021]

Annexure

Condition No.	Condition
1.	The said goods are imported free of cost for the purpose of Covid relief by a State Government or, any entity, relief agency or statutory body, authorised in this regard by any State Government.
2.	The said goods are received from abroad for free distribution in India for the purpose of Covid relief.
3.	Before clearance of the goods, the importer produces to the Deputy or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, a certificate from a nodal authority, appointed by a State Government, that the imported goods are meant for free distribution for Covid relief, by the State Government, or the entity, relief agency or statutory body, as specified in such certificate.
4.	The importer produces before the Deputy or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, at the port of import within a period of six months from the date of importation, or within such extended period not exceeding nine months from the said date as that Deputy or Assistant Commissioner of Customs may allow, a statement containing details of goods distributed free of cost duly certified by the said nodal authority of the State Government.

[F.No. CBIC-190354/2/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.